उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

संख्या-126/2021/ 867/71-03-2021-एन0एम0-20/2019

लखनऊ : दिनांकः 23 सितम्बर, 2021

शुद्धि-पत्र

केन्द्र सहायतित योजना "इस्टेब्लिशमेंट आफ न्यू मेडिकल कालेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-3) के अन्तर्गत जनपद अमेठी के जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज, अमेठी के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति की दिनांक 22.03.2021 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित लागत रू0 292.5668 करोड़ (रू0 दो अरब बानवे करोड छप्पन लाख अडसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 20.00 करोड की धनराशि निर्धारित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 114/2021/ई-1730472/71-03-2021-एन0एम0-20/2019, दिनांक 09.09.2021 के प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर -4 में निम्नवत उल्लेख किया गया है-

> "वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/10-2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड/बिडिंग की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।"

2- उक्त शासनादेश में धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराये जाने का अंश लिपिकीय त्रुटिवश छूट गया है। अतः शासनादेश संख्या-114/2021/ई-1730472/71-03-2021-एन0एम0-20/2019, दिनांक 09.09.2021 के प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-4 निम्नवत पढा जाय:-

> "वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/10-2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड/बिडिंग की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरित कर लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।"
>
> उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्याः-126/2021/867(1)/71-03-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग।
6. प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. नोडल प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
10. जिलाधिकारी, अमेठी।
11. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, अमेठी।
13. नियोजन अनुभाग-4
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।